

3/11/23 पत्रावली पेश हुई। परकारान वकील उप. है। इन्तजार
तामील पत्रावली दिनांक 3/10/23 को पेश हो

उपखण्ड अधिवक्ता
उपखण्ड, चाकसू (जानपुर)

3/10/23 पत्रावली आज दावे की पत्रावली के साथ पेश हुई।
वकील वादी व स्वयं वादी उप.। वकील वादी उरा
दावा किन्ने होनेसे प्र. पत्र अस्पष्ट निषेधाज्ञा का
किन्ने हेतु कहे जाने से प्र. पत्र अस्पष्ट निषेधाज्ञा
का किन्ने (आरिज) किया जाता है। प्र. पत्र अस्पष्ट
निषेधाज्ञा का किन्ने होने से न्यायालय का पूर्व स्थगन
आदेश दिनांक 20/6/23 का प्रभावहीन (शुल्क) हो
गया। पत्रावली वाद तत्काल दायित्व दफ्तर हो

उपखण्ड अधिवक्ता
उपखण्ड, चाकसू (जानपुर)